भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1115
(दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

1115. डा॰ ज्ञान प्रकाश पिलानियाः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ग्रामीण/शहरी घरों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त में से ग्रामीण/शहरी क्षेत्र–वार कितने लोगों को अपने–अपने घरों में नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 2008–09 के अनुसार केवल 30 प्रतिशत घरों को ही नल का पानी मिलता है; और

(घ) सभी ग्रामीण/शहरी घरों में नल से पानी प्रदान करके उन्हें पूर्णरूप से इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए क्या कार्य योजना है?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) एवं (ख) जनगणना 2011 के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी परिवारों की राज्य–वार संख्या अनुलग्नक में दर्शाई गई है। व्यक्तिगत परिवार को नल कनेक्शनों के जरिए पीने योग्य स्वच्छ पेयजल आपूर्ति संबंधी ऑकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति की उपलब्धता वाले परिवारों की राज्य–वार स्थिति अनुलग्नक में दर्शाई गई है।

(ग) जी, हाँ। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 30.80% ग्रामीण परिवारों को नल से पानी की सुविधा प्राप्त है तथा देश के 70.60% शहरी परिवारों को नल द्वारा जलापूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत, ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की कवरेज के लिए एक कार्यनीति योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैंः–

वर्ष 2017 तक,

- यह सुनिश्चित करना कि कम से कम 50% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जाए; कम से कम 35% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक कनेक्शनों सहित पाइप द्वारा जलापूर्ति करा दी जाए; 20% से कम परिवार सार्वजनिक नलों का उपयोग करें एवं 45% से कम परिवार हैंडपम्पों या अन्य सुरक्षित एवं पर्याप्त निजी जल स्रोतों का उपयोग करें। सभी सेवाएँ, गुणवत्ता के निर्धारित मानकों एवं प्रतिदिन जलापूर्ति के घण्टों की संख्या के अनुकूल हों।

वर्ष 2022 तक,

- यह सुनिश्चित करना कि कम से कम 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जाए; कम से कम 80% ग्रामीण परिवारों को एक पारिवारिक कनेक्शन सहित पाइप द्वारा जलापूर्ति करा दी जाए; 10% से कम सार्वजनिक नलों का उपयोग करें तथा 10% से कम हैंडपम्पों या अन्य सुरक्षित एवं पर्याप्त निजी जल स्रोतों उपयोग करें।

******

अनुलग्नक

दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1115 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

जनगणना 2011 की स्थिति के अनुसार पाइपों द्वारा जलापूर्ति की उपलब्धता वाले ग्रामीण एवं शहरी परिवार

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण परिवार	टोंटी सहित पानी की कवरेज	शहरी परिवार	टोंटी सहित पानी की कवरेज
1	जम्मू एवं कश्मीर	1497920	55.70	517168	87.90
2	हिमाचल प्रदेश	1310538	88.70	166043	95.50
3	पंजाब	3315632	34.90	2094067	76.40
4	चंडीगढ	6785	95.20	228276	96.80
5	उत्तराखण्ड	1404845	63.90	592223	78.40
6	हरियाणा	2966053	63.60	1751901	77.50
7	दिल्ली	79115	59.40	3261423	81.90
8	राजस्थान	9490363	26.90	3090940	82.60
9	उत्तर प्रदेश	25475071	20.20	7449195	51.50
10	बिहार	16926958	2.60	2013671	20.00
11	सिक्किम	93270	82.60	35761	92.10
12	अरूणाचल प्रदेश	195723	59.30	65891	84.20
13	नागालैंड	284911	51.80	115054	35.70
14	मणिपुर	335752	29.50	171400	56.30
15	मिजोरम	104874	41.40	116203	74.40
16	त्रिपुरा	607779	25.20	235002	54.00
17	मेघालय	422197	28.70	116102	77.60
18	असम	5374553	6.80	992742	30.20
19	पश्चिम बंगाल	13717186	11.40	6350113	55.60
20	झारखण्ड	4685965	3.70	1495642	41.60
21	ओडिसा	8144012	7.50	1517073	48.00
22	छत्तीसगढ़	4384112	8.80	1238738	62.50
23	मध्य प्रदेश	11122365	9.90	3845232	62.20
24	गुजरात	6765403	55.80	5416315	85.60
25	दमन एवं दीव	12750	84.80	47631	72.60
26	दादर एवं नागर हवेली	35408	42.50	37655	50.30
27	महाराष्ट्र	13016652	50.20	10813928	89.10
28	आंध्र प्रदेश	14246309	63.40	6778225	83.50
29	कर्नाटक	7864196	56.40	5315715	80.40
30	गोवा	124674	77.80	198139	90.20
31	लक्षद्वीप	2523	31.00	8180	16.90
32	केरल	4095674	24.50	3620696	34.90
33	तमिलनाडु	9563899	79.30	8929104	80.30
34	पुदुचेरी	95133	95.00	206143	95.40
35	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	59030	77.50	34346	97.90
	भारत	**167826730**	**30.80**	**78865937**	**70.60**